रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2015/आषाढ़ 9, 1937
No. 176] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2015/ASADHA 9, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेष व्यापार महानिदेषालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2015

सं. 23/2015–20

विषयः स्कैनर्स/रेडियोलोजिकल डिटेक्शन उपकरणों (आरईडी) सुविधाओं वाले नामित पत्तनों पर संसाधित धात्विक स्क्रैप की कतिपय श्रेणियों के आयात से संबंधित प्रावधान।

फा. सं. 01/53/162/विविध/पीएसआईए/एएम 15/एस–5/आईसी.–विदेष व्यापार नीति 2015–20 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेषक, विदेष व्यापार एतद्द्वारा विदेष व्यापार नीति 2015–20 की प्रक्रिया पुस्तक में पैराग्राफ 2.54क और विदेष व्यापार नीति 2015–20 के परिषिष्टों और आयात–निर्यात प्रपत्रों में परिषिष्ट 2ढ़–2, 2छ–1 और 2ज–1 को शामिल करते हैंः

2. पैरा 2.54क स्कैनर्स/रेडियोलोजिकल डिटेक्शन उपकरणों (आरईडी) सुविधाओं वाले नामित पत्तनों पर संसाधित धात्विक स्क्रैप की कतिपय श्रेणियों का आयात।

उपरोक्त पैराग्राफ 2.54(ख) में दर्षायी गई प्रकिया के बावजूद, नीचे दिए गए पैराग्राफ (च) में यथा उल्लिखित संसाधित धात्विक स्क्रैप का आयात, निम्नलिखित षर्तों की पूर्ति के अधीन पीएसआईसी के बिना (एचबीपी 2015–20 के पैराग्राफ 2.55 के अनुसार) विदेष व्यापार नीति 2015–20 के परिषिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिषिष्ट 2छ–1 में यथा सूचीबद्ध नामित पत्तनों (आरडीई सुविधा के बगैर) पर अनुमत की जा सकती हैः–

(क) आयातक निम्नलिखित प्रमाणित करते हुए निरीक्षण एजेंसी/स्क्रैप आदि द्वारा जारी प्रारुप 2ज–1 में पोतलदान पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र के साथ को एफटीपी 2015–20 के परिषिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिषिष्ट 2ढ़–2 के अनुसार एक स्व–घोषणा सह विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी :

(i) कि आयात किया जा रहा धात्विक स्क्रैप संसाधित स्क्रैप हैः और

(ii) कि पोतलदान से पूर्व खेप का निरीक्षण कर लिया गया है और इसमें कोई विस्फोटक अथवा रेडियोएक्टिव सामग्री नहीं हैः और

(iii) कि आयातक को अपने जोखिम और लागत पर दूषित सामग्री यदि भारत आगमन पर सामग्री में पाई जाती है तो उसका पुनः निर्यात करना होगा।

(ख) आयातक को सीमा–शुल्क विभाग को जमानत राशि के रूप में रु. 10,00,000/–(दस लाख) की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी ।

(ग) आयातक को निर्यातक के साथ संविदा की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह दर्शाया गया हो कि खेप में किसी प्रकार का हथियार, गोला–बारुद, माईन्स, खोल, कारतूस, रेडियोएक्टिव दूषित सामग्री अथवा अन्यथा अन्य कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है। इसमें निर्यातक को यह सहमति भी दर्शानी चाहिए कि यदि खेप के भारत आगमन पर इसमें कोई विस्फोटक अथवा रेडियोएक्टिव सामग्री पाई जाती है तो वह खेप को वापस ले लेगा।

(घ) नामित पत्तनों पर इस प्रकार का आयात किए गए सभी स्क्रैप खेपों को सीमा–शुल्क विभाग द्वारा निकासी किए जाने से पहले, इन पत्तनों पर लगाए गए स्कैनर/रेडियोलोजिकल डिटेक्शन उपकरणों(आरडीए) के माध्यम से पास करना होगा। आगमन के समुद्रीय पत्तन पर कंटेनर्स की स्कैनिंग आवश्यक होगी इस तथ्य की परवाह किए वगैर कि कंटेनर को किसी आईसीडी अथवा सीएफएस पर भेजा जा सकता है।

(ड.) यदि आयातक द्वारा दी गई घोषणा असत्य/गलत पायी जाती है, आयातक अपने जोखिम और लागत पर निर्यातक देश को दूषित खेप को वापस भेजने के लिए उत्तरदायी होगा और वह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 अथवा प्रचलित किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य कार्रवाई के अलावा बांड के प्रत्यावर्तन/जमानत राशि की जब्ती के लिए उत्तरदायी होगा।

(च) इस पैराग्राफ के तहत विचारार्थ संसाधित धात्विक स्क्रैप में स्क्रैप की निम्नलिखित श्रेणियां शामिल होंगीः

(i) श्रेडिड, कट शीयर्ड, रोटर शीयर्ड

(ii) ब्रिकेटिड, बेल्ड, बंडल्स

(iii) टर्निंग्स, बोरिंग्स, ग्रैन्यूल्स, नोडयूल्स

3. **निम्नलिखित परिशिष्टों को एफटीपी 2015–20 के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों में शामिल किया जाता है;**

(i) स्व–घोषणा सह विधिक वचनवद्धता के प्रपत्र को निर्धारित करने वाला परिशिष्ट 2ढ़–2 को इस सार्वजनिक सूचना के साथ अनुलग्नक 1 साथ जोड़ा गया है।

(ii) रेडियोलोजिकल डिटेक्शन उपकरणों (आरडीए) वाले नामित सीमा–शुल्क पत्तनों की सूची निर्धारित करने वाला परिशिष्ट 2छ–1 इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 2 में दिया गया है।

(iii) निरीक्षण एजेंसी/स्क्रैप यार्ड द्वारा जारी किया जाने वाला पोत लदान–पूर्व निरीक्षण प्रमाण–पत्र के प्रारूप को निर्धारित करने वाले परिशिष्ट 2ज–1 की इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक–3 पर दिया गया है।

4. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

(i) स्कैनर्स/रेडियोलोजिकल डिटेक्शन उपकरणों (आरईडी) वाले नामित पत्तनों पर संसाधित धात्विक स्क्रैप की कतिपय श्रेणियों के आयात से संबंधित प्रावधान को अधिसूचित किया गया है।

(ii) एफटीपी, 2015–20 के परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों में तीन नए परिशिष्टों 2छ–1, 2ज–1 और 2ढ़–2 को शामिल किया जाता है।

प्रवीर कुमार, महानिदेषक, विदेष व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015–20 का अनुलग्नक–1 दिनांकः 30 जून, 2015

परिशिष्ट 2ढ़–2

स्व–घोषणा एवं कानूनी वचनबद्धता का प्रारूप

(प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54क का संदर्भ लें)

1. मैं/हम मैसर्स..... एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं किः

(i) हमारे द्वारा आयात किए जा रहे स्क्रैप का देश (देश का नाम जहां निरीक्षण किया गया) में दिनांक को (निरीक्षण करने वाले अभिकरण का नाम और पता बताएँ) द्वारा निरीक्षण किया गया है। पोतलदान–पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रपत्र 2ज–1 में संलग्न है।

(ii) आयात किए जा रहे धात्विक स्क्रैप संसाधित धात्विक स्क्रैप होता है तथा इस प्रकार के वर्गीकरण हेतु इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मानदंडों का अनुपालन किया जाता है।

(iii) खेप में आयन–विकिरण से संबंधित कोई संकेत तथा/अथवा संयुक्त राष्ट्र वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी–7 में यथा वर्गीकृत खतरनाक वस्तुओं के यातायात से संबंधित कोई चिन्ह मौजूद नहीं है।

(iv) खेप में किसी प्रकार के हथियार, गोलाबारूद, माईन्स, गोले, कारतूस अथवा किसी प्रकार की प्रयुक्त या अन्यथा विस्फोटक सामग्री मौजूद नहीं है।

(v) खेप की विकिरण स्तर पर जांच की गई थी तथा इसमें प्राकृतिक मात्रा से अधिक विकिरण स्तर (गामा एवं न्यूरॉन) मौजूद नहीं है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस प्रमाण पत्र में उल्लिखित विवरण तथा ब्यौरे सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है।

3. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि भारत में आने वाली खेप में किसी विस्फोटक अथवा रेडियोएक्टिव सामग्री का पता लगता है तो मैं/हम उस खेप को वापस निर्यातक/निर्यातक देश को भेजने के लिए जिम्मेदार होंगे।

4. निर्यातक देश में निरीक्षण–अभिकरण/स्क्रैप यार्ड को भारतीय प्राधिकरणों, जिन्हें डीजीएफटी द्वारा ऐसे निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा ऐसी अभिकरणों/स्क्रैप यार्डों का निरीक्षण किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी।

5. मैं/हम पूर्णतः समझता हूँ/समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा दी गई घोषणा को झूठ/गलत पाया जाता है, तो मैं/हम विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 तथा लागू अन्य किसी कानून के तहत किसी कार्रवाई के अतिरिक्त बैंक गारंटी की राशि की जब्ती के लिए उत्तरदायी होऊंगा/होंगे।

आयातक के हस्ताक्षर

पद.....

पता (कार्यालय)

ईमेल पता

तिथिः दूरभाष सं.

स्थानः मोहर एवं सील

टिप्पणी :

कानूनी वचनबद्धता को आयातक द्वारा भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 अथवा राज्य अधिनियम जो भी मामला हो, के तहत संबंधित राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित राशि के गैर–न्यायिक स्टांप पत्र पर निष्पादित किया जाएगा। निष्पादित किए जाने वाले किसी दस्तावेज हेतु कानूनी शपथपत्र पर देय होने वाले स्टांप शुल्क को आयातक द्वारा वहन किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015–20 का अनुलग्नक–2 दिनांकः 30 जून, 2015

परिशिष्ट 2छ–1

विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क पत्तनों की सूची जहां स्कैनर/रेडियोलॉजीकल डिटेक्शन उपस्कर (आरडीई) उपलब्ध हैं।

[प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54क का संदर्भ लें]

1. कोचीन
2. एन्नोर
3. गोवा
4. हल्दिया
5. जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी)
6. कोलकाता
7. नया मंगलोर
8. तूतीकोरन
9. विशाखापत्तनम

सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015–20 का अनुलग्नक–3 दिनांकः 30 जून, 2015

परिशिष्ट 2ज–1

पोतलदान–पूर्व जांच प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह पोतलदान–पूर्व जांच प्रमाण पत्र संसाधित स्क्रैप के आयात के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54क के संबंध में जारी किया जाता है।

.....

मैं एतद्द्वारा निम्नानुसार विवरण प्रमाणित करता हूँ :-

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने खेप की जांच कर ली है और निम्नलिखित को प्रमाणित करता हूँ/करते हैं:

(क) यह खेप ऐसे वर्गीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार वास्तव में संसाधित धात्विक स्क्रैप है।

(ख) खेप में संयुक्त राष्ट्र संघ वर्गीकरण के अनुसार श्रेणी–7 के रूप में वर्गीकृत आयनीकरण विकिरण से संबंधित कोई निशान और/या खतरनाक माल के परिवहन से संबंधित कोई निशान नहीं है।

(ग) आयातक का विवरण निम्नानुसार हैः

(i) नामः.....

(ii) पताः.....

(iii) आयातक निर्यातक कोड सं.

(iv) दूरभाष सं.(मोबाइल)

(v) ई–मेल

(घ) निर्यातक का विवरण निम्नानुसार हैः

(i) नामः.....

(ii) पताः.....

(iii) दूरभाष सं.(मोबाइल)

(iv) ई–मेल

(ड.) आयात का विवरण और मात्रा :

धात्विक स्क्रैप का विवरण

क्रम सं.	कन्टेनर सं.	सील संख्या*	मात्रा (मी. टन में)	पार्श्व विकिरण स्तर(μSv/h)	कन्टेनर विकिरण स्तर(μSv/h)

***टिप्पणी 1:** निर्यातक स्क्रैप यार्ड द्वारा लगाये गये सील की संख्या

टिप्पणी 2: यदि निर्यात कर रहे देश का सीमा–शुल्क विभाग सील लगाता है (कंटेनर के जाँच के बाद) तो लदान बिल में दर्शाए गए परिवर्तन लागू होंगे।

(च)(i) जांच का देश

(ii) जांच का स्थान

(iii) जांच की तारीख एवं समय

(छ) प्रयोग किए गए रेडियोलॉजिकल डिटेक्शन उपकरणों (आरडीई)/विकिरण सर्वेक्षण मीटर का ब्यौरा

- बनावट–
- माडल–
- क्रम सं.
- अंशांकन की अन्तिम तारीखः

घोषणापत्र

(1) खेप में प्रयोग की गई अथवा न की गई किसी भी प्रकार का हथियार, गोलाबारूद, माइन्स, शैल्ज, कार्टरिज या किसी भी रुप में कोई अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं है और खेप के विकिरण स्तर के लिए जांच की गई थी और इसमे प्राकृतिक वातावरण से अधिक विकिरण स्तर (गामा और न्यूट्रॉन) नहीं है। खेप का विकिरण स्तर स्वीकृत मात्रा के भीतर है और भारत में निर्यात किए जाने हेतु उपयुक्त है।

(2) मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस प्रमाण–पत्र में दिए गए विवरण और कथन सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक..... हस्ताक्षर.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम.....

निर्यातक स्क्रैप यार्ड की मुहर

पदनाम.....

पता (कार्यालय).....

ई–मेल.....

दूरभाष.....

जांच करने वाली एजेन्सी/यार्ड का नाम.....

पता.....

दूरभाष सं.

ई मेल

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th June, 2015

No. 23/2015-20

Subject: Provisions relating to import of certain categories of processed metallic scrap, at designated ports having Scanners/Radiological Detection Equipments (RDEs) facilities.

F. No. 01/53/162/Misc/PSIA/AM15/S-5/IC.— In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Director General of Foreign Trade hereby inserts paragraph 2.54 A in the Handbook of Procedures of FTP 2015-20, and Appendices 2N-2, 2G-1 and 2H-1 in Appendices and Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20:

2. Para 2.54A Import of certain categories of processed metallic scrap at designated ports having Scanner/Radiological Detection Equipment (RDE) facilities

Notwithstanding the procedure stated in paragraph 2.54(b) above, Import of processed metallic scrap, as described in paragraph (f) below, may be allowed at designated ports (with Scanner/RDE facility), as listed in Appendix 2G-1 of Appendices and Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20, without PSIC (as per paragraph 2.55 of HBP 2015-20), subject to fulfillment of following conditions:-

(a) The importer shall have to submit a self declaration cum legal undertaking, as given in Appendix 2 N-2 of Appendices and Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20, along with a Pre-shipment Inspection Certificate in Format 2H-1, issued by the Inspecting Agency/Scrap Yard, certifying:

(i) That the metal scrap being imported is processed metallic scrap; and

(ii) That the consignment has been inspected before shipment and it does not contain any explosive or radioactive material; and

(iii) That the importer shall be liable for re-export of contaminated material, if detected on arrival in India, back to the exporter/exporting country at his own risk and cost.

(b) Importer shall furnish bank guarantee of Rupees 10,00,000/- (Rupees ten lakh) to the Customs as security amount.

(c) Importer shall also have to submit a copy of contract with the exporter stipulating that the consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, radioactive contaminated material, or any other explosive material, in any form, either used or otherwise. It shall also contain exporter's willingness to accept the consignment back, in case any explosive or radioactive material is found in it on arrival in India.

(d) All scrap consignments, so imported at the designated ports, shall have to compulsorily pass through the Scanner / Radiological Detection Equipments (RDEs), installed at these ports, before being cleared by the Customs. The scanning of the containers at the sea port of arrival would be mandatory regardless of the fact that the container may be destined for any ICD or CFS.

(e) In the event, the declaration given by the importer is found to be false / incorrect, the importer shall be responsible for exporting back the contaminated consignment back to the exporting country at his risk and cost and shall also be liable for enforcement of bond/forfeiture of security amount, in addition to any other action under FT (D&R) Act 1992, Customs Act, 1962 or any other law in force.

(f) The processed metallic scrap for consideration under this paragraph shall include the following categories of scrap:

(i) Shredded, Cut Sheared, Rotor Sheared

(ii) Briquetted, Baled, Bundles.

(iii) Turnings, Borings, Granules, Nodules

3. Following Appendices are inserted in the Appendices and Aayat Niryat Forms of FTP 2015-20;

(i) Appendix 2N-2, prescribing Format of Self-Declaration cum Legal Undertaking, is annexed as Annexure 1 to this Public Notice.

(ii) Appendix 2G-1, prescribing List of the designated Customs Ports having Scanners/Radiological Detection Equipments (RDEs), is annexed as Annexure 2 to this Public Notice.

(iii) Appendix 2-H-1, prescribing Format of Pre-Shipment Inspection Certificate to be issued by Inspecting Agency/Scrap Yard, is annexed as Annexure-3 to this Public Notice.

4. **Effect of this Public Notice:**

(i) Provision relating to import of certain categories of processed metallic scrap, at designated ports having Scanner/Radiological Detection Equipments (RDEs), has been notified.

(ii) Three new Appendices 2G-1, 2-H-1 and 2N-2 are inserted in the Appendices and Aayat Niryat Forms of FTP, 2015-20.

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Annexure-1 to Public Notice No. 23/2015-20 dated 30th June, 2015

Appendix 2N-2

Format of Self-Declaration cum Legal Undertaking

[Refer paragraph 2.54 A of HBP]

1. I/We M/s---------- hereby declare that:
 (i) The scrap being imported by us has been inspected by (state name and address of the agency which inspected) on _____ (date) in the country ---------- (country where inspection was held). Pre-shipment Inspection Certificate in Form 2H-1 is attached.
 (ii) The metal scrap being imported is processed metallic scrap and it conforms to the internationally accepted parameters, for such a classification.
 (iii) The consignment does not contain any symbol related to ionizing radiation and/or any marking related to transport of dangerous goods classified as Class 7, as per United Nations classification.
 (iv) The consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, or any other explosive material in any form, either used or otherwise;
 (v) The consignment was checked for radiation level and it does not have radiation level (gamma and neutron) in excess of natural background.
2. I/We hereby declare that the particulars and statements made in this certificate are true and correct and nothing has been concealed or held there from.
3. I/We undertake that in case any explosive or radioactive material is detected in consignment on arrival in India, I/We shall be responsible for the return of the same consignment back to exporter/exporting country.
4. The Inspection Agency/Scrap Yard in exporting country shall have no objection to inspection of such Agency/Scrap Yard by Indian authorities, authorised for undertaking such inspection by DGFT.
5. I/We fully understand that In the event of the declaration given by us is found to be false / incorrect, I/we shall be liable for forfeiture of Bank Guarantee amount in addition to any other action under FT(D&R) Act 1992, Customs Act, 1962 or any other law in force.

Signature of Importer

Designation: _____

Address (office): _____

E Mail Address: _____

Phone Number: _____

Date:

Place: STAMP & SEAL

Note: The Legal Undertaking is to be executed by the importer on a non-judicial stamp paper for an amount as may be prescribed by concerned state government under the Indian Stamp Act, 1899 or State Act, as the case may be. Any stamp duty payable on Legal undertaking on any document executed thereunder shall be borne by the importer.

Annexure-2 to Public Notice No.23 /2015-20 dated 30th June, 2015

Appendix 2G-1

List of the designated Customs Ports having Scanners/ Radiological Detection Equipments (RDEs)

[Refer paragraph 2.54 A of HBP]

1. Cochin
2. Ennore
3. Goa
4. Haldia
5. Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT)
6. Kolkata
7. New Mangalore
8. Tuticorin
9. Visakhapatnam

Annexure-3 to Public Notice No. 23/2015-20 dated 30th June, 2015

Appendix-2H-1

FORMAT OF PRE-SHIPMENT INSPECTION CERTIFICATE

This Pre-Shipment Inspection Certificate is issued in terms of paragraph 2.54A of Handbook of Procedure for import of processed scrap

I, hereby certify the details as below:-

That I/we have inspected the consignment and certify the following:

(a) The consignment is actually processed metallic scrap, as per the internationally accepted parameters for such a classification.

(b) The consignment does not contain any symbol related to ionizing radiation and/or any marking related to transport of dangerous goods classified as Class 7 as per United Nations classification.

(c) Details of Importer are as follows:

(i) Name: _____

(ii) Address: _____

(iii) Importer Exporter Code No._____

(iv) Telephone No. _____ (Mobile) _____

(v) E-mail _____

(d) Details of Exporter are as follows:

(i) Name: _____

(ii) Address: _____

(iii) Telephone No. _____ (Mobile) _____

(iv) E-mail _____

(e) Details and quantity of import:

Description of metallic scrap

Sl. No.	Container No.	Seal Number*	Quantity (in MTs)	Background radiation level (µSv/h)	Container radiation level (µSv/h)

*Note 1: Seal Number of the seal affixed by exporting scrap yard

Note 2: In cases where the Customs of the exporting country have put seal (after examination of the container) the changes reflected in Bill of Lading shall be applicable.

(f) (i) Country of Inspection _____

(ii) Place of Inspection _____

(iii) Date and time of Inspection _____

(g) Details of Radiological Detection Equipments (RDEs)/Radiation Survey Meter used:

- Make-
- Model-
- Serial no.-
- Last date of calibration-

DECLARATION

(1) The consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, or any other explosive material in any form, either used or otherwise, and that the consignment was checked for radiation level and it does not have radiation levels (gamma and neutron) in excess of natural background. **The radiation level of the consignment is within the accepted range and is fit to be exported to India**

(2) I/We hereby declare that the particulars and statements made in this certificate are true and correct and nothing has been concealed or held there from.

Date _____

Signature _____

Name of the Authorised Signatory_____

Seal of Exporting Scrap Yard

Designation_____

Address (office) _____

E Mail Address_____

Phone Number_____

Name of Inspecting Agency/Yard _____

Address: _____

Telephone Number _____

E mail _____

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.